सैंट जॉन एम्बूलैंस (भारत)
हरियाणा राज्य केन्द्र

सैंट जॉन एम्बूलैंस (भारत), हरियाणा राज्य **केन्द्र,** चण्डीगढ की प्रबन्धकारिणी समिति की वर्ष 2017–18 एव 2018–19 की वार्षिक बैठक दिनांक 30.08.2019 को प्रातः 11.40 बजे, माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष, सैंट जॉन एम्बूलैंस (भारत), हरियाणा राज्य केन्द्र की अध्यक्षता में हरियाणा राज भवन हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः–

1.	श्री सत्यदेव नारायण आर्य, माननीय राज्यपाल हरियाणा।	अध्यक्ष
2.	श्री नितिन यादव, भा0प्र0से0, हरियाणा सरकार के सचिव, कार्मिक प्रषिक्षण, सतर्कता एवं संसदीय कार्य विभाग मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
3.	श्री विजय सिह दहिया, भा0प्र0से0 माननीय राज्यपाल के सचिव।	सदस्य
4.	डा0 मुकेष अग्रवाल, उपाध्यक्ष, भारतीय रैडक्रास समिति एवं सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत), हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़।	सदस्य
5.	श्री ए. श्रीनिवास, भा0प्र0से0, महानिदेषक, उच्च षिक्षा, हरियाणा।	सदस्य
6.	श्री अषोक कुमार शर्मा, भा0प्र0से0, महानिदेषक, माध्यमिक षिक्षा, हरियाणा।	सदस्य
7.	श्री महेष्वर शर्मा, भा0प्र0से0, निदेषक, प्राथमिक षिक्षा हरियाणा।	सदस्य
8.	श्रीमति रितू, भा0प्र0से0, महानिदेषक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।	सदस्य
9.	श्री आर0एस0वर्मा, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत), जिला केन्द रोहतक।	सदस्य
10.	श्री अंषज सिह, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत), जिला केन्द सोनीपत।	सदस्य
11.	श्री सुजान सिह यादव, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत), जिला केन्द भिवानी।	सदस्य
12.	श्री मुकुल कुमार, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत), जिला केन्द, यमुनानगर।	सदस्य
13.	श्री धीरेन्द्र खरगटा, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत), जिला केन्द फतेहबाद।	सदस्य
14.	श्री एस0के0 जैन, भा0पु0से0, अतिरिक्त महानिदेषक, पुलिस गृहरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा कमान्डेन्ट जनरल, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, हरियाणा के प्रतिनिधि।	सदस्य
15.	श्री एच0एस0 दून, भा0पु0से0, पुलिस महानिरीक्षक महानिदेशक, पुलिस हरियाणा के प्रतिनिधि	सदस्य
16.	श्री पार्थ गुप्ता, भा0प्र0से0, अतिरिक्त उपायुक्त, कुरुक्षेत्र उपायुक्त एवं प्रधान सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत) जिला केन्द, कुरुक्षेत्र के प्रतिनिधि।	सदस्य
17.	श्रीमति मनदीप कौर, भा0प्र0से0 अतिरिक्त उपायुक्त, सिरसा। उपायुक्त एवं प्रधान सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत) जिला केन्द सिरसा के प्रतिनिधि।	सदस्य
18.	सुश्री प्रीति, भा0प्र0से0, अतिरिक्त उपायुक्त, पानीपत। उपायुक्त उपायुक्त एवं प्रधान सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत), जिला केन्द पानीपत के प्रतिनिधि।	सदस्य
19.	श्री अनिष यादव, भा0प्र0से0, अतिरिक्त उपायुक्त, करनाल। उपायुक्त एवं प्रधान सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत), जिला केन्द करनाल के प्रतिनिधि	सदस्य
20.	श्री सुरेन्द्र सिह, भा0प्र0से0 अतिरिक्त उपायुक्त, पलवल। उपायुक्त एवं प्रधान सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत), जिला केन्द, पलवल के प्रतिनिधि।	सदस्य
21.	कर्नल पी0पी0 सिह, 10 हरियाणा एन0सी0सी0, बटालियन कुरुक्षेत्र। उप–महानिदेषक एन0सी0सी0 पंजाब हरियाणा, हिमाचल और केन्द्रषासित चन्डीगढ़ के प्रतिनिधि	सदस्य

क्0पृ0उ0

22.	श्री जगनिवास, एच0सी0एस0, अतिरिक्त उपायुक्त, झज्जर। उपायुक्त एवं प्रधान सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत), जिला केन्द झज्जर के प्रतिनिधि।	सदस्य
23.	श्री ए0एस0मान, एच0सी0एस0, अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार। उपायुक्त एवं प्रधान सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत), जिला केन्द हिसार के प्रतिनिधि।	सदस्य
24.	सुश्री रिचा राठी ,एच0सी0एस0 उप–मण्डल अधिकारी (ना0) कालका। उपायुक्त एवं प्रधान सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत), जिला केन्द पंचकूला के प्रतिनिधि ।	सदस्य
25.	श्री मनदीप कुमार, एच0सी0एस0 उप–मडंल अधिकारी (ना0) सफीदों। उपायुक्त एवं प्रधान सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत), जिला केन्द जीन्द के प्रतिनिधि	सदस्य
26.	श्री कुषाल कटारिया, एच0सी0एस0 उप–मडंल अधिकारी (ना0) कोसली। उपायुक्त एवं प्रधान सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत), जिला केन्द रिवाड़ी के प्रतिनिधि।	सदस्य
27.	श्री सुरेष रवीष, एच0सी0एस0 नगराधीष कैथल उपायुक्त एवं प्रधान सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत), जिला केन्द कैथल के प्रतिनिधि।	सदस्य
28.	डा0 जितेन्द्र सिह. एच0सी0एस0, नगराधीष चरखी दादरी। उपायुक्त एवं प्रधान सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत), जिला केन्द चरखी दादरी के प्रतिनिधि।	सदस्य
29.	डा0 निर्मल सिद्धू, उप–निदेषक महानिदेषक, स्वास्थय सेवा हरियाणा के प्रतिनिधि। ।	सदस्य
30.	श्री डी0आर0 शर्मा, राज्य सचिव, सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत), हरियाणा राज्य केन्द्र चण्डीगढ़।	सदस्य सचिव
31.	श्रीमति सविता अग्रवाल, संयुक्त सचिव, भारतीय रैडक्रास समिति हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़।	सदस्य

श्री डी0आर0षर्मा, महासचिव भारतीय रैडक्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ में बैठक के सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा रैडक्रास एवं सैटजॉन की गतिविधियों पर आधारित वृतचित्र प्रस्तुत किया गया। उन्होने बैठक की कार्यसूची को भी प्रस्तुत किया। बैठक की कार्यवाही निम्नप्रकार से हैः–

मद सं0	**प्रस्ताव**	**समाधान**
1	सैन्ट जॉन एम्बूलैंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र की प्रबन्धकारिणीसमिति की दिनांक 20जनवरी, 2018को हुई बैठक की कार्यवाही का पुष्टिकरण **सैन्ट जॉन एम्बूलैंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र की प्रबन्धकारिणी समिति की दिनांक 20जनवरी, 2018 को हुई बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट प्रबन्धकारिणी समिति के सभी सदस्यों को कार्यालय के पत्र कमांक न0 731/EC/St.John/2018/6058-6095 दिनांक 09.02.2018 द्वारा भेज दिया गया है । पत्र की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है ।** **.......पुष्टिकरण हेतू**	**सदन ने सर्वसम्मति से बैठक की कार्यवृत की पुष्टि की।**

कृ0पृ0उ0

2	**20 जनवरी, 2018 की प्रबन्धकारिणी समिति में लिए गए निर्णयों की प्रगति रिपोर्ट।** **2** (10) **(ii).**उद्योगों के कर्मचारियो एवं श्रमिकों को प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण । निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़ ने हरियाणा प्रदेष के सभी जिला उद्योग केन्द्रों के सयुंक्त निदेषकों को निर्देष दिए कि वे जिला सैंट जॉन केन्द्र द्वारा अपने जिले में सभी उद्योगों में प्राथमिक सहायता के प्रषिक्षण को सुनिष्चित करे तथा इन निर्देषों की प्रति सैंट जॉन एम्बूलैंस(भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र को भी पत्र पृष्ठांकन संख्या टी0एस0/सैट जॉन एम्बूलैंस/ 4460–ए दिनांक 05.04.2018 द्वारा सूचित किया गया था। श्रम विभाग हरियाणा द्वारा हरियाणा प्रदेष के सभी जिले के उपनिदेषकों एवं सहायक निदेषक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थय विभाग को अपने कार्यालय के पत्र कमांक 2377–2404 दिनांक 23.05.2019 द्वारा निर्देष जारी किए गए है कि सम्बन्धित जिले में जिला सैंट जॉन केन्द्र द्वारा प्राथमिक सहायता का प्रषिक्षण सभी उद्योगों में सुनिष्चित करें तथा उद्योगों को निर्देष भी जारी करें कि सैंटजॉन एम्बूलैंस, हरियाणा राज्य केन्द्र से वैद्य प्राथमिक सहायता प्रमाण पत्र धारकों को ही सुरक्षा गार्ड के पद पर नियुक्त किया जाए। सैंटजॉन एम्बूलैंस, हरियाणा राज्य केन्द्र द्वारा श्रम विभाग से प्राप्त पत्र पृष्ठांकन संख्या 2404 दिनांक 23.05. 2019 को सभी जिला सैंटजॉन शाखाओं को आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया। परन्तु यह संज्ञान में लाया जाता है कि बहुत से उद्योगों में प्राथमिक सहायता का प्रषिक्षण नहीं करवाया जा रहा है और बहुत से उद्योगों में नियमित कर्मचारियों में से केवल दो या तीन कर्मचारियों को ही सैंट जॉन एम्बूलैंस(भारत) जिला केन्द्र के माध्यम से प्रषिक्षण करवाया जाता है। उद्योगों में कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों, ठेकेदारों के अधीन/आउटसोर्सिग नीति के तहत कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिक सहायता का प्रषिक्षण नहीं दिया जाता जबकि उद्योगों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा ज्यादा रहता है। अतः उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा द्वारा निम्न प्रस्तावों को पारित किया जाए:– 1. जिला उद्योग केन्द्र यह सुनिष्चित करे कि जिले के प्रत्येक उद्योग में सभी कर्मचारियों को सैंट जॉन एम्बूलैसं प्राथमिक सहायता का प्रषिक्षण प्रदान किया गया हो। 2. प्रत्येक उद्योग में कार्यरत कुल कर्मचारियो (स्थायी, अस्थायी, ठेकेदारों के अधीन/आउटसोर्सिग नीति के तहत कार्यरत कर्मचारी) के 30 प्रतिषत कर्मचारियों को प्राथमिक सहायता का प्रषिक्षण दिया जाए।	सदन में विचार विमर्ष उपरान्त सदन ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा द्वारा प्रस्तावित विषयों को अनिवार्य रुप से लागू किया जाए तथा इस सन्दर्भ में सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत) हरियाणा राज्य शाखा चन्डीगढ़ को भी अवगत कराया जाए। श्री नितिन यादव, भा0प्र0से0, हरियाणा सरकार के सचिव, कार्मिक प्रषिक्षण, सतर्कता एवं संसदीय कार्य विभाग तथा अतिरिक्त कार्यभार श्रम आयुक्त हरियाणा ने यह भी सुझाव दिया कि सैंटजॉन एम्बूलैंस (भारत) हरियाणा राज्य शाखा प्राथमिक सहायता के प्रषिक्षण के लिए श्रम विभाग को प्रस्ताव भेजकर अनुदान भी ले सकते है। राज्य सचिव सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत) हरियाणा राज्य शाखा ने सदन को आष्वस्त किया कि वे इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को पत्र लिखकर प्राथमिक सहायता के प्रषिक्षण हेतु अनुदान बारे अनुरोध करेगें।

	3. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उनके जिले में कुल उद्योगों की सूची जिला सैंटजॉन केन्द्र को दी जाए। 4. उद्योगो का निरीक्षण करने वाले निरीक्षक द्वारा यह सत्यापन दिया जाए कि सम्बन्धित उद्योगों द्वारा 30 प्रतिषत कर्मचारियों को प्राथमिक सहायता का प्रषिक्षण दिया जा चुका है तथा जिला सैंट जॉन केन्द्र में कार्यरत जिला प्रषिक्षण अधिकारी तथा राज्य शाखा के अधिकारी को उद्योगों में प्राथमिक सहायता के प्रषिक्षण की स्थिति जानने हेतु अधिकृत किया जाए।	
	2 (10) **iii) उद्योगों मे प्राथमिक सहायकों और सुरक्षा गार्डो की नियुक्ति ।** निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़ ने हरियाणा प्रदेष के सभी जिला उद्योग केन्द्रों के सयुंक्त निदेषकों को निर्देष दिए कि वे अपने जिले में संचालित सभी उद्योगों को निर्देष जारी करें कि वे अपने उद्योग/कारखाने में केवल उन्ही लोगों को सुरक्षा गार्ड नियुक्त करें जिनके पास सैंट जॉन एम्बूलैंस (भारत) द्वारा जारी प्राथमिक सहायता का वैद्य प्रमाण पत्र हो तथा इन निर्देषों की प्रतिसैंट जॉन एम्बूलैंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र को भी पत्र पृष्ठांकन संख्या टी0एस0/सैट जॉन एम्बूलैंस/4460–ए दिनांक 05.04.2018द्वारा भेजी गई थी। परन्तु यह देखा गया है कि सुरक्षा गार्डो की नियुक्ति आउटसोर्सिग एजैन्सी के माध्यम से या ठेकेदारों के माध्यम से की जाती है और इन सुरक्षा गार्डो के पास न तो प्राथमिक सहायता का प्रषिक्षण होता है और न ही जिला सैट जॉन केन्द्रों के पास उद्योगों में कार्यरत सुरक्षा गार्डो का कोई विवरण होता है। अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा द्वारा हरियाणा प्रदेष सभी जिला उद्योग केन्द्रों को निम्न आदेष जारी करें:– 1. उद्योगों की सूची कुल कार्यरत कर्मचारियों सहित सम्बन्धित जिला सैंट जॉन केन्द्र को उपलब्ध करवाए। 2. उद्योगों में कार्यरत कुल सुरक्षा गार्डो का विवरण उद्योग सहित उपलब्ध करवाए। 3. उद्योगों में कार्यरत जिन सुरक्षा गार्डो ने प्राथमिक सहायता का प्रषिक्षण नहीं लिया उन्हे जिला सैट जॉन केन्द्र के माध्यम से प्राथमिक सहायता का प्रषिक्षण सुनिष्चित करें।	श्री नितिन यादव, भा0प्र0से0, हरियाणा सरकार के सचिव, कार्मिक प्रषिक्षण, सतर्कता एवं संसदीय कार्य विभाग तथा अतिरिक्त कार्यभार श्रम आयुक्त हरियाणा ने कहा कि श्रम विभाग हरियाणा द्वारा प्राथमिक सहायता प्रषिक्षण को कौषल प्रषिक्षण में जोड़ लिया जाएगा तथा इस सन्दर्भ में श्रम विभाग हरियाणा द्वारा सम्बन्धित विभाग को पत्र भेजकर सैंटजॉन एम्बूलैंस (भारत) हरियाणा राज्य शाखा को भी सूचित कर दिया जाएगा। सदन ने विचार विमर्ष उपरान्त सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव भी पारित किया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा द्वारा हरियाणा प्रदेष के सभी जिला उद्योग केन्द्रों को निर्देष जारी किए जाएगें कि जिला उद्योग केन्द्र द्वारा विभिन्न उद्योगों में कार्यरत सुरक्षा गार्डो का विवरण जिला सैटजॉन केन्द्र में उपलब्ध करवाया जाएगा तथा जिन सुरक्षा गार्डो के पास सैंटजॉन एम्बूलैंस (भारत) द्वारा जारी किया गया वैद्य प्राथमिक सहायता प्रषिक्षण प्रमाण पत्र नहीं होगा वे सम्बन्धित जिला सैटजॉन केन्द्र से प्राथमिक सहायता का प्रषिक्षण लेना सुनिष्चित करेगें।
3	वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्टः सैन्ट जॉन एम्बूलैंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र एवं जिला शाखाओं द्वारा वर्ष 2017–18 एव 2018–19 के दौरान की गई वार्षिक गतिविधियों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है, जो कि परिशिष्ट **'ग'** पर संलग्न है । **.......सूचनार्थ**	सदन ने नोट किया एवं गतिविधियों की सराहना की।

क्0पृ0उ0

4	**सैन्ट जॉन एम्बूलैंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र की वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 की वित्तिय स्थिति विवरण (Balance Sheet)** सैन्ट जॉन एम्बूलैंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र की वर्ष 2017–18 की वित्तिय स्थिति (Balance Sheet) विवरण अनुसार कुल वास्तविक आय 1,04,22,288.00 रुपए, कुल वास्तविक व्यय 1,03,43,416.74/-रुपए और वास्तविक बचत 79,871.26/-रुपए की हुई। सैन्ट जॉन एम्बूलैंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र की वर्ष 2018–19 की वित्तिय स्थिति (Balance Sheet) अनुसार कुल वास्तविक आय 1,11,36,694.51 रुपए, कुल वास्तविक व्यय 1,04,02,963.71/-रुपए और वास्तविक बचत 7,33,731.80 रुपए की हुई। **.......सूचनार्थ एवं अनुसमर्थन हेतु**	सदन ने सर्वसम्मति से अनुसमर्थन किया।
5	**वर्ष 2017-18 एवं 2018–19 के लिए प्राथमिक सहायता एवं गृह परिचर्या के प्रशिक्षण बारे तथावर्ष 2019–20 के लिये प्रशिक्षण लक्ष्य निर्धारण बारे ।** भारतीय रैडक्रास समिति वर्ष 2020 में शताब्दी वर्ष मनाने जा रही है तथा भारतीय रैडक्रास समिति ने भारतवर्ष की सभी राज्य एवं केन्द्रषासित रैडक्रास/सैंटजॉन शाखाओं को कुल जनसंख्या के तीन प्रतिषत लोगों को 2020 तक प्राथमिक सहायता में निपुण करने का लक्ष्य दिया गया है। सैंटजॉन एम्बूलैंस, हरियाणा राज्य केन्द्र द्वारा इस लक्ष्य को पूरा किया जा चुका है तथा प्रति वर्ष प्रत्येक जिले को कुल जनसंख्या के 1% व्यक्तियों को प्राथमिक सहायता व गृहपरिचर्या में प्रषिक्षित करने का लक्ष्य दिया जाता है। हरियाणा राज्य में जिला सेन्ट जॉन शाखाओं द्वारा वर्ष **2017-18** के दौरान **2,34,002** व्यक्तियों तथा **2018–19** के दौरान 2,17,107 व्यक्तियों को प्राथमिक सहायता एवं गृह परिचर्या विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया । अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि हरियाणा प्रदेष में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को गतिशील बनाये रखने के उद्देश्य से वर्ष **2019–20** के लिये हमेशा की तरह जिलों की जनसंख्या के 1% (प्रतिशत) व्यक्तियों प्राथमिक सहायता व गृहपरिचर्या में प्रषिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाए तथा इस लक्ष्य में 20%(प्रतिशत) व्यक्तियों को गृह परिचर्या में परिक्षित किया जाए। **.......सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ**	सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

क्र0पृ0उ0

6 जिला सैंट जॉन शाखाओंमे जिला प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदो को भरने बारे ।

हरियाणा प्रदेष की आठ जिला सैंट जॉन शाखाओंमे जिला प्रशिक्षण अधिकारियों के पद काफी लम्बे समय से रिक्त पडे हुंए है । इस सन्दर्भ में सम्बन्धित जिला उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला सैंट जॉन शाखाओं से रिक्त पड़े पदों को भरने बारे निरन्तर अनुरोध किया जाता रहा है तथा 20 जनवरी 2018 को हुई प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में सभी उपायुक्तों को जिला प्रषिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने बारे अनुरोध किया गया था ताकि जिलों में सैट जॉन का कार्य अवरुद्ध न हो, परन्तु जिला सैट जॉन केन्द्र सोनीपत को छोड़कर बाकि किसी भी जिले में जिला प्रषिक्षण अधिकारी के पद को नहीं भरा गया। रिक्त पदों का विवरण जिलावार निम्नांकित हैः–

क0स0	जिले का नाम	जिला प्रषिक्षण अधिकारी के पद का विवरण
1	अम्बाला	रिक्त
2	चरखी दादरी	रिक्त
3	फतेहबाद	रिक्त (कोर्ट में मुकदमा)
4	जीन्द	रिक्त
5	कैथल	रिक्त
6	पलवल	रिक्त (कोर्ट में मुकदमा)
7	पानीपत	रिक्त
8	रेवाडी	रिक्त

यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला सैट जॉन केन्द्रं ;अम्बाला, चरखी दादरी, फतेहबाद, जीन्द, कैथल, पलवल, पानीपतऔर रेवाडी को जिला प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पद को अतिषीघ्र भरने के लिए पुनः निर्देष जारी किए जाए।

.... सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ

श्री डी0आर0षर्मा, राज्य सचिव सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र चण्डीगढ़ ने सदन को अवगत कराया कि जिला सैटजॉन शाखाओं में जिला प्रषिक्षण अधिकारी के पद काफी समय से लम्बित है जिस कारण जिला सैंटजॉन शाखाओं का कार्य प्रभावित हो रहा है।

सदन में सर्वसम्मति से यह पारित किया गया कि जिन जिला सैटजॉन शाखाओं में जिला प्रषिक्षण अधिकारी के पद लम्बित है उन शाखाओं में उपायुक्त एवं प्रधान रिक्त पदों पर शीघ्र अतिषीघ्र जिला प्रषिक्षण अधिकारी की रैडक्रास एवं सैटजॉन एम्बूलैंस के नियमानुसार नियुक्ति करें। ताकि माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

7 **जिला सैंट जॉन शाखाओं में एक दिवसीय Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) का प्रशिक्षण कोर्स।**

यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न स्वास्थय संस्थानों के आग्रह पर सैट जॉन एम्बूलैंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र द्वारा वर्ष 2012 से एक दिवसीय सी0 पी0 आर0 का प्रषिक्षण जिम संचालकों तथा जिम के प्रषिक्षकों को सम्बन्धित जिम के अनुरोध पर प्रदान किया जा रहा है। यह प्रषिक्षण स्वास्थय संस्थानों जैसे फिटनैस मैटर, बर्न जिम, अरोमा अकादमी द्वारा अपने प्रषिक्षणार्थियों एवं जिम के प्रषिक्षकों के लिए अनिवार्य

सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

	किया हुआ है। इस एक दिवसीय प्रषिक्षण के लिए मात्र 500/-रुपए प्रति प्रषिक्षणार्थी सैट जॉन एम्बूलैंस (भारत) हरियाणा राज्य शाखा द्वारा प्रषिक्षण फीस ली जाती है तथा प्रत्येक प्रषिक्षणार्थी को इस कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। सी0 पी0 आर0 एक जीवन रक्षक विधि है तथा सी0 पी0 आर0 में प्रषिक्षित व्यक्ति किसी भी आपदा या दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की जान बचाने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकता है। अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि यदि किसी भी जिले में जिला सैंट जॉन केन्द्र के पास सी0पी0आर0 प्रषिक्षण के लिए अनुरोध आता है तो सम्बन्धित जिला शाखा द्वारा एक दिवसीय सी0पी0आर0 का प्रषिक्षण प्रदान कर दिया जाए और प्रषिक्षण की फीस राज्य शाखा द्वारा निर्धारित नियमानुसार ले ली जाए। **....... सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ**	
8	**वाहन चालकों के लिए प्राथमिक सहायता का प्रषिक्षण।** यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिन प्रतिदिन सड़को पर वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा इसी सन्दर्भ में सैट जॉन एम्बूलैंस (भारत) हरियाणा राज्य शाखा द्वारा परिवहन आयुक्त हरियाणा से अनुरोध किया गया था कि सभी वाहनचालकों के लिए प्राथमिक सहायता को अनिवार्य कर दिया जाए ताकि सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरन्त प्राथमिक सहायता प्रदान की जा सके एवं घायल व्यक्ति को भी स्वयं को प्राथमिक सहायता देने में निपुणता हो और वह सदमें की हालत में न जाए। इस कार्यालय के अनुरोध पर परिवहन आयुक्त हरियाणा चन्डीगढ़ द्वारा अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 17334-94 AT-3/ ST-1दिनांक 28.03.2017 से हरियाणा प्रदेष के सभी उप-मडंल अधिकारी (ना0) एवं पंजीकरण एवं लाइसैसिग अधिकारियों को वाहन चालक का लाईसैस जारी करने पर प्राथमिक सहायता का प्रषिक्षण अनिवार्य कर दिया था। 11 जिला सैंट जॉन शाखाओं फरीदाबाद, फतेहबाद, गुरुग्राम, नारनौल, पानीपत, रिवाड़ी, झज्जर, कुरुक्षेत्र, मेवात, नारनौल और सिरसा द्वारा ड्राईविंग लाईसैंस बनवाने वाले व्यक्तियों को एक दिवसीय बेसिक प्राथमिक सहायता का प्रषिक्षण प्रदान किया जाता है जिसकोसम्बन्धित जिले के पंजीकरण एवं लाइसैसिग अधिकारियों द्वारा अनिवार्य किया है। कुछ जिलों में सम्बन्धित उप-मडंल अधिकारी (ना0) एवं पंजीकरण एवं लाइसैसिग अधिकारियों ने यह कहा कि वे प्राथमिक सहायता के प्रषिक्षण को वाहन चालकों के लिए तभी अनिवार्य करेगें जब प्राथमिक सहायता को पंजीकरण एवं	राज्य सचिव सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र ने सदन को अवगत कराया कि एक दिवसीय प्राथमिक सहायता का प्रषिक्षण सभी वाहन चालको के लिए अनिवार्य होना चाहिए। सदन में विचार विमर्ष के उपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया तथा यह भी पारित किया गया कि परिवहन विभाग हरियाणा द्वारा सैट जॉन एम्बूलैंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र एवं जिला केन्द्रो द्वारा प्रदत्त एक दिवसीय बेसिक प्राथमिक सहायता को पंजीकरण एवं लाइसैसिग प्राधिकरण के मानक संचालन प्रकिया (SOPs) में शामिल करके सैट जॉन एम्बूलैंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र को अवगत कराएंगे।

	लाइसैसिग प्राधिकरण के मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) में शामिल किया जाएगा। इस सन्दर्भ में इस कार्यालय द्वारा परिवहन आयुक्त हरियाणा चन्डीगढ़ को पत्र क्रमांक St.John/Ruling/2018-19/4608 दिनांक 16 जनवरी 2019 द्वारा सैट जॉन एम्बूलैंस हरियाणा एवं जिला केन्द्रो द्वारा प्रदत्त प्राथमिक सहायता प्रमाण पत्र को पंजीकरण एवं लाइसैसिग प्राधिकरण के मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) में शामिल करने बारे अनुरोध किया जा चुका है। अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि परिवहन विभाग हरियाणा को सभी वाहन चालकों के लिए प्राथमिक सहायता के प्रमाण पत्र को राज्य परिवहन के पंजीकरण एवं लाइसैसिग प्राधिकरण के मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) में शीघ्र अतिषीघ्र शामिल किए जाने का अनुरोध किया जाए तथा चालकों के लिए प्राथमिक सहायता के एक दिवसीय बेसिक प्रषिक्षण की फीस निम्नानुसार निर्धारित कर ली जाएः– 1. दो तीन एवं चार पहिया वाहन चालकों के लिए फीस 300/–रुपए प्रति व्यक्ति। 2. प्रषिक्षण अवधि कम से कम चार तथा अधिकतम छः घण्टें। 3. बेसिक प्राथमिक सहायता प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला सैट जॉन केन्द्र द्वारा जारी किया जाएगा। 4. वाहन चालकों के ड्राईविंग लाईसैंस के नवीनीकरण पर प्राथमिक सहायता का बेसिक प्रमाण पत्र अनिवार्य हो। **....... सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ**	

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।

हस्ता/–
राज्य सचिव

हस्ता/–

माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष
सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत)
हरियाणा राज्य केन्द्र
चण्डीगढ